

**(Authoritative English text of the Government Notification No. EDN-C-F(10)-8/09 dated 05.03.2011 as required under article 348(3) of the Constitution of India)**

Government of Himachal Pradesh  
Department of Elementary Education

Notification No. EDN-C-F(10)-8/09

Dated Shimla-2 the 5<sup>th</sup> March, 2011

**In exercise of the powers conferred under section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, (35 of 2009) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to carry out the provisions of the Act *ibid*, namely:-**

**1. Short title:** These rules shall be called the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011.

**PART I - PRELIMINARY**

**2. Definitions:** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);
- (b) “Anganwadi” means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;
- (c) “Chapter”, “Section” and Schedule” means respectively Chapter, Section of, and Schedule to, the Act;
- (d) “Child” means any child of the age of 6 to 14 years;
- (e) “Child belonging to disadvantaged group” means the child belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes, who belongs to a family that is below the poverty line or is a disabled child as per the provisions contained in Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995;
- (f) “Child belonging to weaker section” means the child belonging to such guardian or parent who belongs to Below Poverty Line family;
- (g) “Form” means a form appended to these rules;
- (h) ‘Neighbourhood’ for the purposes of these rules means a minimum contiguous population of 500 or more in one or more than one village; and Municipal area ;

- (i) “Primary school” means a school imparting education to students for the classes 1 to 5 and also includes its branch;
- (j) “Pupil cumulative record” means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;
- (k) “School mapping” means planning school location to overcome social barriers and geographical distance;
- (l) The “State Government” means, the Government of Himachal Pradesh;
- (m) the term “SMC” wherever used in these rules shall be construed to mean ‘School Management Committee’;
- (n) Upper primary school, means a school imparting education to the students for the classes 6<sup>th</sup> to 8<sup>th</sup>; are

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

## **PART II – RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION**

**3. Special Training for the purposes of first proviso to section 4 (Non-residential / Residential bridge course) :** (1) The School Management Committee/ local authority/ teachers, shall identify children requiring special training and organize such training in the following manner, namely:

- (a) it shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority constituted under section 29(1);
- (b) it may be provided in classes held in the premises of the school, or through classes organised in safe residential facilities;
- (c) it may be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose; and
- (d) the duration of training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress of the child, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training under sub-rule(1), continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the children in the class, academically and emotionally.

### **PART III – DUTIES OF STATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY**

#### **4. Areas or limits of Neighbourhood Schools :** (1) Neighbourhood school means and include-

- (i) a primary school which is located within a walking distance of 1.5 kms ( one and half a kilometres) of a neighbourhood and has a minimum of 25 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrolment in that school ; and
- (ii) an upper-primary school which is located within a walking distance of 3kms( three kilometres) from a neighbourhood and which has not less than 25 children in class 5th of the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrolment in that school.

(2) In areas with difficult terrain, having risk of landslides, floods, lack of roads and in general, danger for young children in the approach from their homes to the school, the State Government or local authority may locate the school in the manner so as to avoid such dangers, by reducing the limits specified under sub-rule (1).

(3) For children from small villages, as identified by the State Government or local authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub-rule (1), the State Government or local authority may consider making provision of free bus passes or payment of distance allowance at such rates as it may fix from time to time.

(4) In areas with dispersed population, the State Government, instead of opening a School, may establish a hostel in some suitable school where, students of such areas may be admitted.

(5) In areas with high population density, the State Government or local authority may consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such areas.

(6) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school, the State Government or local authority shall endeavour to make arrangements to provide them the distance or transportation allowance at such rates as may be fixed by the State Government from time to time, for enabling them to attend the school and complete elementary education.

(7) The State Government or local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

(8) The State Government may from time to time rationalize the existing primary and upper primary schools and may take appropriate decisions including those relating to their merger or closure as may emerge from the rationalization exercise.

## **PART IV RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS**

**5. Responsibility of the State Government and local authority: (1)** A child attending a school of the State Government or the local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, a child attending a school in sub clause (ii) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 12, and a child attending a school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (c) of sub-section(1) of section 12, shall be entitled to free education as provided for in sub-section (2) of section 3 :

Provided that free textbooks, writing material and uniforms shall be provided to such students, as may be decided by the State Government from time to time:

Provided further that, a child with disability shall also be entitled for free special training and support material.

- (2) The State Government or the local authority shall ensure that no child is subjected to abuse on account of caste, class, religion or gender in the school.
- (3) For the purposes of clause (c) of section 8 and clause (c ) of section 9, the State Government and the local authority shall ensure that a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom , during mid day meals, in the play grounds or in the use of common drinking water and toilet facilities.

**6 The extended period of admission under section 15-** (1) A child can be admitted to a class within a maximum period of ninety days from the date of commencement of academic session. This period can be further extended by the State Government.

(2) The child admitted under sub-rule (1) shall be imparted training so as to bridge the learning gap due to late admission as specified in rule 3.

**7. Maintenance of records of children by local authority for the purposes of clause (d) of section 9:** (1) The local authority of the areas in which each school is situated or such other agency as may be specified by the State Government for this purpose, shall maintain a record of all children, in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years in the Village Education Register. The register shall be maintained in the form prescribed by the Director of Education, Himachal Pradesh

(2) The record, referred to in sub-rule (1), shall be updated each year.

(3) The record, referred to in sub-rule (1), shall be maintained transparently, in the public domain, and used for the purposes of clause (e) of section 9.

(4)The record, referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, include,-

- (a) name, sex, date of birth, place of birth;
  - (b) parents' / guardians' names, address, occupation;
  - (c) pre-primary school/ Anganwadi centre that the child attended upto six years of age.;
  - (d) elementary school where the child is admitted;
  - (e) present address of the child;
  - (g) whether the child belongs to the weaker/ disadvantaged section within the meaning of clauses (d) and (e) of section 2; and
  - (i) details of children requiring special facilities or residential facilities on account of their migration/ disability.
- (5) The School Management Committee shall ensure that the names of all children enrolled in the schools under its jurisdiction are publicly displayed in each school and the list is regularly sent to the local authority.

## **PART V – RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS**

**8. Documents as age proof for the purpose of section 14:** Wherever a birth certificate under the Registration of Births, Deaths and Marriages Act, 2006 is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools :-

- (a) Hospital or Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record;
- (b) *Anganwadi* or nursery record which the child has attended ; and
- (c) In the absence of clause (a) and (b) above, declaration of age of the child by the parent or guardian.

**9. Recognition of schools for the purposes of section 18-**(1) Every Primary school, other than a school established, owned or controlled by the State Government or local authority, established before the commencement of the Act or intended to be established, shall make a self declaration/ file an application for recognition in FORM-I within a period of three months from the date of notification of these rules or as and when the school is intended to be established, to the concerned Block Elementary Education Officer, and

(2) Every Upper-Primary school and every school having classes 1<sup>st</sup> to 8<sup>th</sup>, other than a school established, owned or controlled by the State Government or local authority, established before the commencement of this Act or intended to be established, shall make a self declaration/ file an application for recognition in FORM-I within a period of three months from the date of notification of these rules or as and when the school is intended to be established to the Deputy Director Elementary Education regarding its compliance or otherwise with the norms and standards specified in the Schedule appended to the Act, and the following conditions, namely:-

(a) the school shall conform to the values enshrined in the Constitution;

(b) the school buildings or other structures or the grounds shall not be used during the day or night for commercial or residential purposes (except for the purpose of residence of any employee of the school) or for political or non-educational activity of any kind whatsoever;

(c) that the school is open to inspection by any officer authorized by the State Government/ local authority; and

(d) the school shall furnish such reports and information as may be required by the Director of Education or Deputy Director of Elementary Education or Block Elementary Education Officer, from time to time and comply with such instructions of the State Government or local authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

(3) Every self declaration received in FORM I shall be placed by the Block Elementary Education Officer or Deputy Director of Elementary Education, as the case may be in public domain within fifteen days of its receipt.

(4) The Block Elementary Education Officer or the Deputy Director Elementary Education, *as the case may be* shall conduct or get conducted the inspection of schools which claim to fulfil the norms and standards specified in the Schedule and the conditions mentioned in sub-rule (2) within three months of the receipt of the self declaration in FORM-I.

(5) After the inspection referred to in sub-rule (3) of this rule is carried out, the inspection report shall be placed by the Block Elementary Education Officer or Deputy Director Elementary Education, *as the case may be* in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards specified in the Schedule and the conditions specified in sub-rule(2) shall be granted recognition by the Block Education Officer or Deputy Director Elementary Education, as the case may *be* in FORM-II within a period of 15 days from the date of inspection.

(6) Schools which were established prior to the enforcement of the Act and which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub- rule (2) shall be listed by the

concerned Block Elementary Education Officer, in case the school is a primary school or the Deputy Director Elementary education, in the case of upper-primary school or a school having classes 1<sup>st</sup> to 8<sup>th</sup>, through a public order to this effect. Such schools may request the Block Elementary Education Officer or Deputy Director Elementary education, as the case may be, for an on-site inspection for grant of recognition, any time before 31<sup>st</sup> march 2013.

(7) Schools which were established prior to the enforcement of the Act and do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub- rule (2) after three years from the commencement of the Act, shall cease to function.

(8) Every school, other than a school established, owned or controlled or intended to be established, by the State Government or local authority established after the commencement of the Act shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition.

(9) Every self declaration cum application for recognition shall be accompanied by such recognition and inspection fee as may be notified by the State Government from time to time.

**10. Withdrawal of recognition to schools for the purposes of section 18(3)-** (1) Where the Block Elementary Education Officer in case of a primary school and the *Deputy* Director Elementary education, in case of an upper-primary school or a school having classes 1<sup>st</sup> to 8<sup>th</sup>, on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 9, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfil the norms and standards specified in the Schedule, she/ he shall act in the following manner:-

(a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month; and

(b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the Block Elementary Education Officer or the Deputy Director Elementary Education, as the case may be, may cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee, which shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, to the Block Elementary Education officer or *Deputy Director Elementary education*.

(c) The Block Elementary Education Officer in case of primary schools and the Deputy Director Elementary education in case of upper-primary schools or a school having classes 1<sup>st</sup> to 8<sup>th</sup> shall consider the report of the Committee under sub-rule(1) and may pass an order for withdrawal of recognition or continuation of the same as is deemed appropriate on the basis of a speaking order:

Provided that, no order for the withdrawal of recognition shall be passed by the said officer without giving the school an opportunity of being heard:

Provided further that, no such order shall be passed by the aforesaid officers without the prior approval of the Director of Elementary Education, Himachal Pradesh.

(2) The order for withdrawal of recognition shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of that school shall be admitted.

## **PART VI - SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE**

**11. Composition and functions of the School Management Committee for the purposes of section 21-** Composition and functions of the School Management Committee, in the State of Himachal Pradesh shall be the same as notified by the State Government through the Government Notification No. EDN-C-F (10)-7/2010, dated 6<sup>th</sup> March 2010 and as amended subsequently from time to time.

**12. Preparation of School Development Plan for the purpose of section 22-** (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.

(2) The School Development Plan shall be a three year plan comprising three annual sub-plans. .

(3) The School Development Plan, shall contain the following details, namely: –

(a) estimates of class-wise enrolment for each year;

(b) physical requirement of additional infrastructure and equipments over the three year period, calculated, with reference to the norms and standards specified in the Schedule; and

(c) additional financial requirement over the three year period, year-wise, in respect of (a) and (b) above, including additional requirement for providing special training facility specified in section 4.

(4) The School Development Plan shall be signed by the Chairperson/Vice-Chairperson and convener of the School Management Committee and submitted to the local authority and to the



Deputy Director Elementary Education before the end of the financial year in which it is to be prepared.

## **PART VII – TEACHERS**

**13. Minimum Qualification for the purposes of section 23 (1)**- The minimum qualifications laid down by the academic authority referred to in sub-section (1) of Section-23 shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2.

**14. Acquiring minimum qualifications under proviso to section 23(2)**:- (1) The State Government shall provide adequate teacher education facilities to ensure that all teachers in schools referred to in Sub-clause (i) of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications laid down under section 23, at the time of commencement of the Act, to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

(2) For a teacher, of any school referred to in sub-clauses (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, who does not possess the minimum qualifications laid down under section 23 at the time of commencement of the Act, the management of such school shall enable such teacher to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

**15. Salary and allowances and conditions of service of teachers for the purpose of section 23(3)**-The salary and allowances payable to and the terms and conditions of service of teachers of schools specified in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, shall be as may be specified by the State Government from time to time through its various Recruitment & Promotion Rules of the respective posts and other orders/ instructions issued by the State Government.

Provided that the State Government may through a scheme notified by it, allow the School Management Committee to engage teachers on part-time or temporary basis and pay them at such rates as are specified in the instructions issued by the State Government.

**16. Duties to be performed by teachers for the purpose of clause (f) to section 24(1)**- (1) In performance of the functions specified in sub-section (1) of section 24 and in order to fulfil the requirements of clause (h) of sub-section (2) of section 29, the teacher shall maintain a file containing the cumulative pupil progress record for every child, *in the* Form specified by the State Government, which shall form the basis for the awarding the completion certificate specified in sub-section (2) of section 30.

(2) In addition to the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, a teacher shall perform the duties assigned to him or her by the State Government or the Director of Education, Himachal Pradesh including the duties related to teacher training/curriculum development and the duties specified in the Schedule.

**17. Manner of redressal of grievances of teachers-** The redressal of grievances of teachers shall be dealt with in accordance with the rules made applicable to the them by the State Government.

## **PART VIII – CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION**

**18. Academic Authority for the purposes of section 29-**(1) Within six months from the date of publication of the notification of these rules, the State Government shall notify/ constitute such academic authority by notification as deemed appropriate, as the academic authority for the purposes of section 29. Separate academic authorities may also be constituted for this purpose.

(2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority notified under sub-rule (1) shall, keeping in view the duties expected from teachers under section 29, shall-

(a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material;

(b) develop and implement the in-service teacher training design; and

(c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation

(3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis.

**19. Award of certificate for the purposes of section 30-** (1) The Certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education in the Form specified by the Director Elementary Education, Himachal Pradesh.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall contain the Cumulative Pupil Progress Record of the child.

## **PART IX– PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN**

**20. Performance of functions for the purposes of section 31(3) -(1)**The State Government shall constitute an authority known as the Right to Education Protection Authority for the purposes of performing the functions specified in sub-section (1) of section 31, within six months of the commencement of these rules.

(2)The constitution, procedure and extent of powers of the authority constituted under sub-rule(1) shall be specified be by the State Government through a notification in the Official Gazette.

**21. Manner of filing complaints before the Right to Education Protection Authority-** The manner of filing complaints before the Right to Education Protection Authority shall be such as may be specified by the State Government.

### **Part X- State Advisory Council**

**22. Constitution and Functions of the State Advisory Council for the purpose of section 34-**

(1) The State Advisory Council to be constituted under section 34 shall consist of a Chairperson and fourteen members..

(2) The Minister- in-charge of the Department of School Education in the State Government shall be the ex-officio Chairperson of the State Advisory Council.

(3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst the persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, taking into consideration following criteria:-

(a) at least four members shall be from amongst persons belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Minorities;

(b) at least one member shall be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member shall be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;

(d) at least two members shall be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education; and

(e) fifty percent of such members shall be women.

(4) The Department of Elementary Education shall provide need based logistic support for meetings of the Council and its other functions.

(5) The procedure for transaction of Business of the Council shall be as under.-

(i) The Council shall meet at such times and place as the Chairperson thinks fit. It shall be compulsory to hold at least four meetings in a year.

(ii) The meeting of the Council shall be presided over by the Chairperson. If for any reason the Chairperson is unable to attend the meeting of the Council, he may nominate a member of the Council to preside over such meeting. Quorum for the meeting shall be 50% of the total members.

(6) The terms and conditions for appointment of Members of the Council shall be as under:-

(a) Every member shall hold office for a term of two years from the date on which she/ he assumes office or till the Council is reconstituted by the State Government, whichever is earlier.

(b) Members of the Council shall be entitled to travelling and daily allowances for official tours and journeys as admissible to the Grade-I officers of the State Government.

**(7)**The State Advisory Council shall function in an advisory capacity.

**(8)**The State Advisory Council shall perform the following functions, namely:

(a) Review –

(i) compliance with teacher qualifications and trainings ; and

(ii) implementation of section 29

(b) commission studies and research for the effective implementation of the Act;

(c) act as an interface between the public and the media and the State Government in creating awareness, mobilization, and a positive environment for the implementation of the Act.

**(3)**The State Advisory Council shall prepare reports relating to the reviews, studies and research undertaken by it and furnish the same to the State or Central Government as per requirement.

FORM I

**SELF DECLARATION CUM APPLICATION  
FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL**

**(See rule -9)**

To

The Deputy Director (Elementary Education)/ Block Elementary Education Officer

(Name of District and State)

Sir/madam,

I am submitting self declaration/ application regarding compliance with the norms and standards specified in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the rules for the grant of recognition to ..... (Name of the school) .....

With effect from the commencement of the school year 20.....

Yours faithfully,

Enclosure :

Place /Date :

Chairman of Managing

Committee/Manager

**A. School Details**

1. Name of School
2. Academic Session
3. District
4. Postal Address
5. Village/City
6. Tehsil
7. Pin Code:
8. Phone No. with STD Code
9. Fax No.
10. E-mail address if any
11. Nearest Police Station

**B. General Information**

1. Year of Establishment/ or to be established
2. Date of First Opening of School
3. Name of Trust/Society/Managing Committee
4. Whether Trust/Society/Managing Committee/ is registered
5. Period upto which Registration of Trust/Society/Managing Committee is valid
6. Whether there is a proof of non-proprietary character of the Trust/Society/Managing Committee supported by the list of members with their address on an affidavit in copy

7.	Name and official address of the Manager/President/Chairman of the School		
	Name		
	Designation		
	Address		
	Phone	(O) .....	(R) .....
8.	Total Income & Expenditure during last 3 years surplus/deficit		
	Year	Income	Expenditure
			Surplus/deficit

<b>C. Nature and area of School</b>	
1.	Medium of Instruction
2.	Type of School (Specify entry & exit classes)
3.	If aided, the name of agency and percentage of aid
4.	If School Recognized/affiliated earlier
5.	If so, by which authority <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recognition number</li> </ul>
6.	Does the school has its own building or is it running in a rented building.

7.	Whether the school buildings or other structures or the grounds are used during the day or night for commercial or residential purposes (except for the purpose of residence of any employee of the school) or for political or non-educational activity of any kind whatsoever?
8.	Total area of the school
9.	Built in area of the school

#### D. Enrolment Status

	Class	No. of Section	No. of Students
1.	Pre-primary		
2.	I – V		
3.	VI – VIII		

#### E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions

	Room	1. Class room 2. Office room-cum-Store Room-cum-Headmaster room 3. Kitchen-cum-store	
	Numbers		
	Average Size		

#### F. Other Facilities

Whether all facilities have barrier free access	Teaching Learning Materials (attach list)	Sports & Play equipments (attach list)	Facility books in library <ul style="list-style-type: none"> <li>Books ( No. of Books)</li> <li>Periodical / Newspapers</li> </ul>	Type and number of drinking water facility	Sanitary Conditions <ul style="list-style-type: none"> <li>Type of W.C. &amp; Urinals</li> <li>Number of Urinals/Lavatories separately for Boys</li> </ul>



					• Number of Urinals/Lavatories separately for girls
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**G. PartG. Particulars of Teaching Staff**

**1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)**

Teacher Name	Father Spouse Name	Date of birth	Academic Qualification	Professional qualification	Teaching Experience	Class assigned	Date of apptt.	Trained or un-trained
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**2. Teaching in Both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)**

Teacher Name	Father/Spouse Name	Date of Birth	Academic qualification	Professional qualification	Teaching experience	Class assigned	Date of apptt.	Trained or un-trained
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**3. Headmaster**

Teacher Name	Father/Spouse Name	Date of Birth	Academic qualification	Professional qualification	Teaching experience	Class assigned	Date of apptt.	Trained or un-trained
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**H Curriculum and Syllabus**

Details of curriculum & syllabus followed in each class (up to VIII)	System of Pupil Assessment	Whether pupils of the school are required to take any Board exam upto class VIII ?
(1)	(2)	(3)

--	--	--

I. Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application;

J. Certified that the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate authority;

K. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the Deputy Director Education or Block Elementary Education Officer from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the Deputy director Education Officer as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;

L. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be .open to inspection. by any officer authorized by the Deputy Director Education or Block Elementary Education Officer or appropriate authority at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the Central and / or State Government/ Local Body or the Administration to discharge its or his obligations to Parliament / Legislative Assembly of the state/Panchayat/Municipal Corporation, as the case may be.

Sd./-

Chairman/Manager,  
 Managing Committee  
 .....School

Place            Date

**Gram :**        **Phone:**

**E-Mail:**      **Fax:**

**Form II**

**(See sub-rule (5) of rule 9)**

**OFFICE OF Deputy Director Education (Elementary)/**

**OFFICE of the Block Elementary Education Officer**

*(Name of District / State)*

**No.            Dated:**

**The Manager,**

-----**School.**

**Sub:    Recognition Certificate for the School under sub-rule (5) of rule 9 of Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of sub-section-(2) of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.**

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated \_\_\_\_\_ and subsequent correspondence with the school. I convey the grant for provisional recognition to the \_\_\_\_\_ (name of the school with address) for Class \_\_\_\_ to Class \_\_\_\_ for a period of three years w.e.f. \_\_\_\_ to \_\_\_\_.

The above sanction is subject to fulfilment of following conditions:-

1.     The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize or affiliate the school beyond Class VIII.
2.     The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure I) and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 (Annexure II).
3.     The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure.
4.     The School shall not deny admission to any child ,
  - (i) for lack of age proof;
  - (ii) if such admission is sought subsequent to the extended period of ninety days for admission; and
  - (iii) on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
5.     The School shall ensure that ,-

- (i) no child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in that school;
- (ii) no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
- (iii) no child is required to pass any Board examination till the completion of elementary education;
- (iv) every child completing elementary education is awarded a certificate as laid down under rule 19 of the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011,
- (v) students with disabilities/special needs are given admission as per provisions of the Act,
- (vi) the teachers are recruited with minimum qualifications as laid down under section 23(1) of the Act. The current teachers who, at the commencement of this Act did not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications by March, 2015;
- (vii) the teacher performs his/her duties specified under section 24(1) of the Act; and
- (viii) the teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.

6. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by academic authority under sub-section(1) of section29..

7. The School shall enrol students proportionate to the facilities available in the school specified n the section 19 of the Act.

8. The School shall maintain the standards and norms as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-

Area of school campus

Total built up area

Area of play ground

No. of class rooms

Room for Headmaster/Office/Store

Separate toilet for boys and girls

Drinking Water Facility

Kitchen for cooking Mid Day Meal

Barrier free Access

Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library

9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.

10. The school buildings or other structures or the grounds shall not be used during the day or night for commercial or residential purposes, except for the purpose of residence of any employee of the school or for political or non-educational activity of any kind whatsoever.

11. The School shall be run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force.

12. The School shall not be run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.

13. The accounts of the school shall be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements shall be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts shall be sent to the Deputy Director/Block Elementary Education Officer every year.

14. The recognition Code Number allotted to your school is ----- . This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.

15. The school shall furnish such reports and information as may be required by the Director of Education/Deputy Director/ Block Elementary Education Officer from time to time and comply with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

16. Renewal of Registration of Society if any, be ensured.

17. The State Government may specify additional conditions from time to time, for compliance.

Yours faithfully,

Deputy Director Education ( Elementary)/

Block Elementary education Officer

District/ Block

By Order

Principal Secretary (Education) to the

Government of Himachal Pradesh.

fu% kQ/d vkj vfuok; L cky f' k{kk dk vf/kdkj  
vf/kfu; e &2009

¼ vf/kl ipuk l O&f' kO&l h&, Q¼10¼&8@09 fnukd 05-03-2011 dks tkjh Hkkjr ds l fo/kku dh /kkjk  
348 ¼3¼ ds v/khu vi f{kr fgUnh ik: i ½

fgekpy ins'k ljdkj  
i kj fEHkd f' k{kk foHkkx

अधिसूचना सो -शिव -सीव -एफ(10)-8/09 दिनांक शिमला-2 5 मार्च, 2011  
fu% kQ/d vkj vfuok; L cky f' k{kk vf/kfu; e 2009 ¼ l u- 2009 dk vf/kfu; e 35¼ dh /kkjk 38 }kjk  
inRr 'kfdR; ka dk iz ksx djrs gq fgekpy ins'k ds jkT; iky] vf/kfu; e ds iko/kkuka dk ykxw  
djus ds fy, fuEufyf[kr fu; eka dks l g"kl fu/kkFjr djrs gq tks bl i xdkj l s gq %&

1. l f{klr 'kh"kd: इन नियमों का संक्षिप्त नाम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (हिमाचल प्रदेश) नियम , 2011 होगा।

Hkkx&I

i kj fEHkd

2. i fj Hkk"kk, % (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,  
(क) "अधिनियम" से बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009  
( सन् 2009 का अधिनियम 35) अभिप्रेत है )  
(ख) "आंगनबाड़ी" से भारत सरकार के महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय द्वारा समेकित बाल विकास योजना के अधीन स्थापित किए गए आंगनबाड़ी केन्द्र अभिप्रेत हैं;  
(ग) "अध्याय", "धारा", "अनुसूची" से अधिनियम के अध्याय, धारा व अनुसूची अभिप्रेत है;  
(घ) "बालक" से छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है ;  
(ङ) "अलाभित समूह का बालक " से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक अभिप्रेत है ;  
(च) "दुर्बल वर्ग का बालक" से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से सम्बन्धित है;  
(छ) "प्रारूप" से अभिप्रेत इन नियमों में संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(ज) इन नियमों के प्रयोजन के लिए "आस-पास विद्यालय" से एक या इससे अधिक गांव और नगरपालिका क्षेत्र अभिप्रेत है जिसकी निरन्तर जनसंख्या कम से कम 500 है;

(झ) "प्राथमिक विद्यालय" से पहली से कक्षा पांचवी तक की शिक्षा अभिप्रेत है और इसमें विद्यालय की अन्य शाखाएँ भी शामिल हैं;

(ञ) "छात्र संचित अभिलेख" से छात्र आधारित सतत्-समग्र मूल्यांकन प्रगति अभिप्रेत है;

(ट) "स्कूल मैपिंग" से भौगोलिक दूरियों और सामाजिक कठिनाइयों का नियन्त्रित करते हुए विद्यालय स्थान निर्धारित करने की योजना अभिप्रेत है;

(ठ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैं;

(ड) एस एम सी शब्द का उपयोग जहाँ भी इन नियमों में हुआ है, का आशय स्कूल प्रबन्धन समिति समझा जाएगा।

(ढ) "उच्च प्राथमिक विद्यालय" से उच्च प्राथमिक शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय जिसमें छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अभिप्रेत है;

2. अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें उपयोग की गई हैं और जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई हैं उनसे अभिप्रेत क्रमशः अधिनियम के अनुसार ही होगा।

## Section II

### Section II

3. (1) विद्यालय-प्रबन्धन समिति/स्थानीय प्राधिकारी/अध्यापक, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करवाएंगे और निम्नलिखित तरीके से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएंगे, जैसे कि:

(क) यह विशेष रूप से रचित, आयु अनुरूप सीखने की शिक्षा सामग्री वाला व धारा 29(1) के अधीन गठित शिक्षा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा;

(ख) यह प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में चलने वाली कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में उपलब्ध होगा ;

(ग) यह प्रशिक्षण स्कूल में कार्यरत अध्यापकों या इसी उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों के लिए उपलब्ध होगा और ;

(घ) प्रशिक्षण की अवधि कम से कम तीन माह की होगी जिसे अधिक से अधिक अवधि दो वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है। यह बालक के सीखने की प्रगति, निश्चित अवधि मूल्यांकन पर आधारित होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विशेष प्रशिक्षण के बाद बालकों को आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश देना होगा उस पर अध्यापक द्वारा लगातार विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वह शैक्षिक व भावनात्मक रूप से कक्षा के अन्य बालकों के साथ सफलतापूर्वक सम्मिलित हो सके।



### Hkkx& III

jkT; ljdkj vkj LFkkuh; i kf/kdkjh ds dRkD;

4- vkl ikl fo|ky; dk {k= ; k l hek, a ¼1½ आसपास विद्यालय से अभिप्रेत और शामिल विद्यालय –

(i) एक प्राथमिक विद्यालय जो कि आसपास के क्षेत्र से 1. 5 कि०मी० की पैदल दूरी पर स्थित है, और जिसमें छह से ग्यारह वर्ष की आयु वर्ग के कम से कम 25 बालक उपलब्ध है , जो उस विद्यालय में नामांकन के इच्छुक हैं; और

(ii) एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि आसपास के क्षेत्र से 3 कि०मी० की पैदल दूरी पर स्थित है, जिसमें **फिडिंग विद्यालयों** की पांचवीं कक्षा में सम्मिलित तौर पर कम से कम 25 बालक उपलब्ध है और उस विद्यालय में नामांकन के इच्छुक हैं।

(2) ऐसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में, जहाँ बाढ़ , ज़मीन खिसकने का भय इत्यादि हो अथवा सड़क की सुविधा नहीं है और साधारणतः छोटे बालकों को घर से विद्यालय तक पहुंचने में कोई खतरा हो, वहां पर राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी इन खतरों से बचने के लिए उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विद्यालय सम्बन्धी विशेष सीमाओं को घटाकर विद्यालय स्थापित कर सकती है।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित छोटे गांव के बालकों के लिए, जहां उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र की सीमा अथवा क्षेत्र में यदि कोई विद्यालय स्थापित नहीं है, तो वहां पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी निःशुल्क बस पास के प्रावधान या दूरी भत्ता समयानुसार निश्चित दर पर भुगतान करने पर विचार कर सकती है

(4) दूर तक बिखरी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्र में राज्य सरकार विद्यालय खोलने की अपेक्षा किसी उपयुक्त विद्यालय में छात्रावास स्थापित करने पर विचार कर सकती है, जंहा पर उस क्षेत्र के विद्यार्थी प्रवेश ले सकें।

(5) अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में , राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की संख्या को देखते हुए एक से अधिक आसपास का विद्यालय स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं।

(6) ऐसे निःशक्तता से ग्रस्त बच्चों के संदर्भ में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें आने-जाने का भत्ता या दूरी भत्ता समयानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के साथ उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी ताकि वे विद्यालय जाने और प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के योग्य हो सकें।

(7) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी बालकों की विद्यालय तक पहुँच व साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण उनकी पहुंच में बाधा न बनें।

(8) राज्य सरकार समय-2 पर कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युक्तिकरण कर सकती है और युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा विद्यालयों को खोलने या बंद करने का उचित फैसला ले सकती है।

## Hkkx & IV

fo | ky; ka vkj f' k{kdkka ds mrjnkf; Ro

5- jkT; I jdkj ; k LFkkuh; i kf/kdkjh dk mRrjnkf; Ro%&

(1) धारा 2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (i) में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट विद्यालय में पढ़ने वाला बालक , धारा 2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (ii) के अनुसार विद्यालय में पढ़ने वाला बालक धारा 12 की उपधारा (i) के खण्ड (बी) के अनुसार , और धारा 2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) विनिर्दिष्ट विद्यालय में पढ़ने वाला बालक, धारा 12 की उपधारा (i) के खण्ड (सी) के अनुसार यथा निर्दिष्ट धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होगा।

परन्तु इन बालकों को राज्य सरकार के समय-समय पर निर्णयों के अनुसार निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दियां उपलब्ध करवानी होंगी,

परन्तु यह और कि निःशक्तता से ग्रस्त बालक भी निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण और सहायक सामग्री लेने का हकदार होगा।

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय में किसी भी बालक से जाति वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार न किए जाने को सुनिश्चित करेगा।

(3) धारा 8 के खण्ड (सी) और धारा 9 के खण्ड (सी) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अलाभित समूह के बालक के साथ मध्याह्न भोजन के दौरान , खेल के मैदान में, सार्वजनिक पीने के पानी और शौचालय सुविधाओं के उपयोग के लिए, कक्षा में अलग न किए जाने या उसके साथ अन्य पक्षपात न किए जाने को सुनिश्चित करेगा ।

6- /kkjk 15 ds v/khu i ds k dh foLrkfjr vof/k (1) शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से अधिक से अधिक 90 दिन की अवधि तक बालक को प्रवेश दिया जा सकता है। यह अवधि राज्य सरकार द्वारा विस्तारित की जा सकती हैं।

(2) उपनियम (i) के अधीन प्रवेश प्राप्त बालक को नियम तीन में विनिर्दिष्ट देरी से प्रवेश के लिए सेतू शिक्षा (ब्रिज कोर्स) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उसके शिक्षण के अंतर को पूरा किया जा सके ।

7- /kkjk 9 ds [k.M %Mh% ds iz kstu ds fy, LFkkuh; i kf/kdkjh }kjk ckyd ds vfhkys[k dk I j {k.k %&

(1) प्रत्येक विद्यालय के क्षेत्र से संबन्धित स्थानीय प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य एजेन्सी, अपने अधिकारिता क्षेत्र में, घर द्वार आकलन द्वारा , बच्चों के जन्म से लेकर 14 वर्ष

की आयु पूरी करने तक ग्राम शिक्षा पंजिका में सभी बालकों के अभिलेख का संरक्षण करेगी। यह पंजिका शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा विहित प्रारूप से संरक्षित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अभिलेख हर वर्ष दिनांकित होगा।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अभिलेख धारा 9 के खण्ड (ई) के प्रयोजन के उपयोग के लिए पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र अधिकार में संरक्षित किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बालक सम्बन्धी अभिलेख में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा।

(क) नाम, लिंग, जन्मतिथि, जन्म स्थान;

(ख) माता-पिता/ संरक्षक का नाम, पता व व्यवसाय;

(ग) विद्यालय-पूर्व-प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी का नाम जिसमें बालक प्रारम्भिक छः वर्षों तक उपस्थित रहा हो;

(घ) प्रारम्भिक विद्यालय जहां बालक ने प्रवेश लिया ;

(ङ) बालक का वर्तमान पता;

(च) धारा (2) के खण्ड (घ) और (ई) से अभिप्रेत बालक के दुर्बल/अलाभित वर्ग से सम्बन्धित हैं; और

(छ) बालक द्वारा विशेष सुविधाओं या आवासीय सुविधाओं की मांग का विवरण , [स्थानान्तरण/निःशक्त](#) होने के आधार पर कारण;

(5) विद्यालय प्रबन्धन समिति सुनिश्चित करेगी कि उसके अधिकारिता क्षेत्र में स्थित स्कूलों में नामांकित बालाको के नाम प्रत्येक स्कूल में सार्वजनिक रूप से दिखाए गए हैं और इनकी सूची नियमित रूप से स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जाती है।

## Hkkx&v

fo | ky; vkj v?; ki dka ds mrj nkf; Ro

8- /kkjk 14 ds iz; kstu ds fy, vk; q ds iæ.k.ki = | ECU/kh nLrkost%

जन्म, विवाह और मृत्यु अधिनियम 2006 के पंजीकरण के अधीन जहां जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आयु प्रमाण पत्र समझा जाएगा:-

(क) अस्पताल, सहायक नर्स और धात्री (दाई) द्वारा पंजीकृत अभिलेख

(ख) आंगनबाड़ी या नर्सरी का अभिलेख जहां बालक उपस्थित हुआ है और

(ग) उपरोक्त खण्ड (ए) और (बी) के अभाव में बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा की गई लिखित घोषणा मान्य होगी।

9- /kkjk 18 ds iz; kstu ds fy, fo | ky; k dh ekU; rk& (1) प्रत्येक, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई प्राथमिक विद्यालय, जो कि अधिनियम के प्रारम्भ

से पहले स्थापित किया गया हो या जिसे स्थापित किए जाने का इरादा हो, अर्जी प्रारूप-1 के अनुसार इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन महीने की अवधि में या जब भी ऐसे स्कूल स्थापित करने का आशय होगा, इस बारे में स्व घोषणा/ मान्यता प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र सम्बन्धित प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी के पास दायर करेगा, और

2. प्रत्येक राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय व कक्षा 1 से 8 तक का प्रत्येक ऐसा ही स्कूल जो कि अधिनियम के प्रारम्भ से पहले स्थापित किया गया हो या जिसे स्थापित किये जाने का इरादा हो । संबन्धित उपनिदेशक शिक्षा के पास दायर करेगा। जिसमें अधिनियम के साथ दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों और मापदण्डों की अनुपालना के विवरण और निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा। नामतः

**प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय और पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय राज्य सरकार**

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता ;

(ख) विद्यालय भवन या अन्य ढांचे या खेल के मैदान का उपयोग वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए दिन या रात के दौरान (विद्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी के रहने के प्रयोजन के अतिरिक्त) किसी भी प्रकार की राजनैतिक और गैर शैक्षणिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा;

(ग) कि राज्य सरकार स्थानीय/ प्राधिकारी द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रस्तुत रहेगा; और

(घ) विद्यालय को ऐसी सूचनाएँ और अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे जो समय-समय पर शिक्षा-निदेशक, प्रारम्भिक, उप-शिक्षा निदेशक या प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित होंगे, तथा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पर दी गई हिदायतों की अनुपालना, जो कि मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने की सुरक्षा के लिए या विद्यालय की कार्यप्रणाली में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने हेतु जारी की गई हो , करनी होंगी ।

(3) प्रारूप-1 में प्राप्त की गई प्रत्येक स्वघोषणा प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी या प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक द्वारा ,जो भी लागू हो ,पास रहेगी, इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा जायेगा।

(4) प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जो भी लागू हो ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे या करवाएँगे, जो अभिसूची में दिए गए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शर्तों , मानकों और मापदण्डों को पूरा करने का दावा करते हैं, प्रारूप-1 में की गई स्वघोषणा/ प्रार्थना पत्र की रसीद प्राप्त होने के तीन महीनों के भीतर ।

(5) इस नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण कार्यान्वित करने के बाद, निरीक्षण रिपोर्ट प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी या प्रारम्भिक शिक्षा उप-निदेशक , जो भी लागू हो , के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करनी होगी और उपनियम (2) के अधीन अभिसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत मानक, मापदण्डों को पूर्ण करने वाले

विद्यालयों प्रारूप-2 में निरीक्षण की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी या प्रारम्भिक शिक्षा उप-निदेशक द्वारा मान्यता दे दी जायेगी ।

(6) अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित विद्यालयों , जो उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट मानक, मापदंडों और शर्तों के अनुरूप नहीं है, की सूची सम्बन्धित प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी, यदि प्राथमिक विद्यालय है, या प्रारम्भिक शिक्षा उप-निदेशक, यदि विद्यालय उच्च प्राथमिक है या ऐसा विद्यालय है जिसमें पहली से आठवीं तक की कक्षाएँ हैं, सार्वजनिक आदेश से सूची तैयार करेंगे। ऐसे विद्यालय, प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी या प्रारम्भिक शिक्षा उप-निदेशक जो भी लागू हो , से मान्यता दिये जाने हेतु , मौके पर निरीक्षण करने का आग्रह कभी भी 31 मार्च 2013 से पहले किसी भी समय कर सकते हैं।

(7) अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित ऐसे विद्यालय जो उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट मानक, मापदंड और शर्तों को , अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन वर्षों के बाद भी पूरा नहीं करते है , कार्य करना बन्द कर देंगे ।

(8) अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद ,राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, स्थापित विद्यालय के अतिरिक्त , प्रत्येक विद्यालय को मान्यता प्राप्ति के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट मानक, मापदंडों और शर्तों को पूरा करना होगा।

(9) प्रत्येक स्वघोषणा एवं मान्यता की अर्जी, ऐसी मान्यता और निरीक्षण शुल्क सहित दायर होगी जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

10- /kkjk 18/3½ ds iz; kstu ds fy, ekk; rk dks okfi l yuk (1) प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में जहां प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय या कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय की स्थिति में जहां उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अपने आधार पर या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी प्रतिवेदन के आधार पर तार्किक रूप से यह समझता है , जिन्हें लिखित तौर पर रखा जायेगा, कि नियम 9 के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालय ने मान्यता के लिए अनुदत्त शर्तों का एक या इससे अधिक बार उल्लंघन किया है या अभिसूची में विनिर्दिष्ट मानक और मापदंडों को पूरा करने में असफल रहा है , वह निम्नलिखित प्रकार से कार्य करेगा/करेगी:-

(क) मान्यता प्रदान करने की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय से संबन्धित शर्तों के उल्लंघन संबंधी सूचना देते हुए अपेक्षित सूचना देनी होगी और एक महीने के अन्दर उनसे स्पष्टीकरण लेना होगा; और

(ख) स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाएं जाने या निश्चित अवधि में प्राप्त न किए जाने की स्थिति में प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जो भी लागू हो , वे विद्यालय एक समिति द्वारा निरीक्षण करवा सकते हैं जो वांछित छानबीन करेगी और अपनी रिपोर्ट मान्यता जारी रखने या वापिस लेने की सिफारिशों के साथ जमा करवाएगी।

(ग) प्राथमिक विद्यालय के मामले में प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा उच्च प्रारम्भिक विद्यालय या पहली से आठवीं कक्षा के विद्यालय के मामले में प्रारम्भिक शिक्षा उप-निदेशक, उपनियम 2 के अधीन बनी समिति की

रिपोर्ट पर विचार करेगी और तर्कपूर्ण आदेश के आधार पर जो उचित लगे मान्यता को जारी रखने या वापिस लेने के आदेश पारित कर सकती है।

परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा मान्यता को रद्द करने का आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

यह भी कि उक्त अधिकारी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश से बिना पूर्व अनुमोदन से ऐसे आदेश पारित नहीं करेंगे।

(2) मान्यता वापिस लेने के आदेश तात्कालिक अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से लागू होंगे और ऐसे आदेशों में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि ऐसे विद्यालय के बच्चे किन आसपास के विद्यालयों में प्रवेश लेंगे।

## Hkkx&VI

### fo | ky; i fku/ku l fefr

11- /kkjk 21 ds iz kstu ds fy, fo | ky; i fku/k l fefr dh jPkuk vkj dk; & विद्यालय प्रबन्धन समिति की रचना और कार्य हिमाचल प्रदेश में वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या शिक्षा-सी-एफ (10) 7/2010, दिनांक 6 मार्च 2010 को अधिसूचित की गई और तत्पश्चात् समयानुसार संशोधित की गई/ की जायेगी।

12- /kkjk 22 iz kstu ds fy, fo | ky; fodkl ; kstuk r\$ kj djuk- इस अधिनियम के तहत पहली बार गठित 'विद्यालय प्रबन्धन समिति', वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पहले स्कूल विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षों की योजना होगी जिसमें तीन वार्षिक उप-योजनाएँ समाविष्ट होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरा रहेगा, नामत :-

(क) कक्षा-वार हर वर्ष के लिए नामांकन का आंकलन

(ख) तीन वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त अवसंरचना और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता जिसकी गणना अभिसूची में विनिर्दिष्ट मानक और मापदण्डों के संदर्भ में की गई हो, और

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के संदर्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए वर्ष बार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता जिसमें धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता भी शामिल हो :

(4) वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले विद्यालय विकास योजना तैयार करके, इसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और स्कूल विकास योजना के संयोजक द्वारा हस्ताक्षर करवाने के बाद स्थानीय प्राधिकारी और उप-निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के पास जमा करवानी होगी।

## Hkkx VII

### v/; ki d

13. /kkjk 23 ¼1½ ds iz; kstu ds fy, U; wure 'k{kf.kd ; kx; rk %- धारा 2 के खण्ड (एन) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए धारा 23 की उपधारा (1) में सन्दर्भित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी।

14- /kkjk 23 ½2½ ds v/khu ifrcz/kkRed okD; [kM es U; wure vgrk, a iklr djuk %&

राज्य सरकार धारा 2 के खण्ड (एन0) के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों के सभी अध्यापकों को समुचित अध्यापक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी ताकि ऐसे अध्यापक जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय धारा 23 के अधीन यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं, अधिनियम लागू होने के पांच वर्षों के भीतर इन अर्हताओं को पूरा कर सकें।

(2) यदि धारा 2 के खण्ड (एन) के (ii) और (iv) उपखण्ड में उल्लेखित किसी भी विद्यालय के अध्यापक धारा 23 के अधीन अधिनियम लागू होने के समय तक, यथा निर्दिष्ट न्यूनतम आर्हताएं नहीं रखते हैं, तो ऐसे विद्यालयों का प्रबन्धन अधिनियम के लागू होने से पांच साल के भीतर ऐसी अर्हताओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे अध्यापकों को समर्थ करेगा।

15- /kkjk 23 ¼3½ ds iz; kstu ds fy, f'k{k dks l ns; oru vkj Hkrs rFkk fucz/ku vkj 'krz %&

धारा 2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय शिक्षक को संदेय वेतन और भते तथा उसकी सेवा की नियम व शर्तें वही होंगीं जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समयानुसार विभिन्न भर्ती और पदोन्नति नियमों के माध्यम से तत्सम्बन्धी पदों और अन्य आदेश/अनुदेश राज्य सरकार जारी करेगी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एक अधिसूचित योजना (Scheme) के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति को अंशकालीन/अस्थायी आधार पर शिक्षकों को रखने की आज्ञा दे सकती है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार संदेय दर से भुगतान कर सकती हैं।

16- /kkjk 24¼1½ ds mi [k.M ¼, Q½ ds iz; kstu ds fy, f'k{k d }kjk drD; kdk fu"i knu %&

(1) धारा 24 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का निष्पादन और धारा (2) के खण्ड (एच) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक एक फाइल तैयार करेगा। जिसमें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्येक छात्र का संचित प्रगति अभिलेख रखेगा, जो कि धारा 30 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट के आधार पर बनेगा व उसके आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(2) धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) से (ई) तक विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त शिक्षक राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करना/पाठ्यचर्या विकास और अधिसूची में विनिर्दिष्ट कर्तव्य भी शामिल है।

17- f'k{kdk dh f'kdk; rka dk fujkdj .k %& शिक्षकों की शिकायतों का निराकरण, राज्य सरकार द्वारा उन पर लागू किए गए नियमों के अनुसार किया जायेगा।

## Hkkx – VIII

i kj fEHkd f'k{k dk ikB; dz vkj ml dk ijk fd; k tkuk

18- /kkjk 29 ds iz kstu ds fy, 'k{kdk i kf/kdkjh & (1) इन नियमों की अधिसूचना के प्रकाशित होने के छः महीनों के भीतर राज्य सरकार धारा 29 के प्रयोजन के लिए , जैसा उचित समझें , शैक्षणिक प्राधिकरण अधिसूचित/गठित करेगी। इस प्रयोजन के लिए अलग शैक्षणिक प्राधिकरण भी गठित किए जा सकते हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करते समय उपनियम (1) के अधीन अभिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी, धारा 29 के दृष्टिगत शिक्षकों से निम्न कर्तव्यों की अपेक्षा करेगा—

(क) अध्यापक सम्बन्धित आयु अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्य-पुस्तकें और अन्य सम्बन्धित शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करेगा;

(ख) सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण का रूपांकन तैयार करके लागू करेगा; और

(ग) सतत-समग्र मूल्यांकन को व्यवहारिकता में लाने के लिए मार्ग-दर्शिका तैयार करेगा।

(3) उप-नियम (1) में उल्लेखित शैक्षिक प्राधिकारी विद्यालय की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नियमित आधार पर एक प्रक्रिया का रूपांकन और कार्यान्वयन करेगा।

19- /kkjk 30 ds iz kstu ds fy, iek.k&i = dk vf/kfu.k & (1) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाणपत्र, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के एक महीने के भीतर विद्यालय स्तर पर देना होगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लेखित प्रमाण-पत्र में छात्र संचित प्रगति अभिलेख में निहित रहेगा।

## Hkkx &IX

### Ckkydka ds vf/kdkj dk I j {k.k

20- /kkjk 31 1/3½ ds iz kstu ds fy, dR; ka dk ikyu & (1) इन नियमों के प्रारम्भ से छह महीनों के भीतर (गठित) करेगा। राज्य सरकार धारा 31 की उपधारा (1) में से विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन से, एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसका नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग होगा।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत गठित प्राधिकरण का गठन , प्रक्रिया व शक्तियों की सीमा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जायेगी।

21. ckyd vf/kdkj I j {k.k vk; ks ds l keus f'kdk; r ntl djus dks rjhdk & बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सामने शिकायत दर्ज करने का तरीका राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

## Hkkx&X

### jkT; I ykgdkj i fj "kn-

22- /kkjk 34 ds iz kstu ds fy, jkT; I ykgdkj i fj "kn- dk xBu vkj dk; l &

(1) धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाने वाली राज्य सलाहकार परिषद् का एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे।



- (2) राज्य सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मन्त्री राज्य सलाहकार परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- (3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार विमर्श करके की जाएगी।
- (क) कम से कम 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होंगे।
- (ख) कम से कम एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जिसे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होगा।
- (ग) एक सदस्य शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा।
- (घ) कम से कम दो सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे ; और
- (ङ) इन सभी सदस्यों में पचास फीसदी महिलाएं होंगी।
- (4) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, समिति की बैठकों और अन्य कृत्यों के लिए आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करवायेगा।
- (5) समिति के कार्यों के संचालन की प्रक्रिया निम्न प्रकार की होगी:—
- (i) परिषद् का अध्यक्ष, जहां उचित समझे उस स्थान और समय पर समिति बैठक करेगी। एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होगा।
- (ii) बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि किसी कारणवश 'अध्यक्ष' समिति की बैठक में शामिल न हो सकें तो वह समिति में से एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए नामांकित कर सकता है। बैठक का कोरम (गणपूर्ति) पचास फीसदी कुल सदस्यों के साथ पूरा होगा।
- (6) समिति के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि और शर्तें निम्न होंगी:
- (क) प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से, दो साल तक पदासीन रहेगा अथवा तब तक जब तक कि राज्य सरकार नई समिति गठित नहीं करती, जो भी पहले हो।
- (ख) समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा ग्रेड-1 के पद के अधिकारियों के लिए आधिकारिक दौरे और यात्रा के लिए स्वीकार्य यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।
- (7) राज्य सलाहकार समिति एक सलाहकार की क्षमता से ही कार्य करेगी।
- (8) राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी, जो निम्न हैं:—
- (क) पुनर्विलोकन—
- (i) अध्यापक की योग्यता, और प्रशिक्षण का अनुपालन ; और
- (ii) धारा 29 का कार्यान्वयन
- (ख) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्ययन और अनुसंधान करेगा।
- (ग) जनता, राज्य सरकार एवं संचार माध्यमों के बीच **interface** तौर पर कार्य करेगी और राज्य सरकार अधिनियम को लागू करने के लिए जागरूकता, सहभागिता और सकारात्मक वातावरण तैयार करेगा।

(3) राज्य सलाहकार समिति पुर्नविलोकन, अध्ययन और अनुसंधान के संबन्ध में रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे आवश्यकतानुसार राज्य या केन्द्र सरकार को सौंपेगी।

ik: i &1

विद्यालय की मान्यता के लिए

स्व घोषणा एवं प्रार्थना पत्र

नियम -9 हिमाचल प्रदेश राज्य आर0 टी0 ई0 नियम 2011

सेवा में,

उप-निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा)/प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी

(राज्य और जिले का नाम)

श्रीमान/श्रीमती जी,

मैं बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की अधिसूची में विनिर्दिष्ट मानक और मापदण्डों का अनुपालन करने के लिए स्वघोषणा ,अर्जी /प्रार्थना पत्र , और नियमों के अनुसार अनुदत्त करने के लिए .....(विद्यालय का नाम) .....

यह प्रार्थना पत्र वर्ष ..... में विद्यालय के प्रारम्भ होने की तिथि..... के लिए है।

भवदीय ,

अनुलग्नकों का ब्यौरा

प्रबन्ध समितिअध्यक्ष/प्रबन्धक

(1)

(2)

स्थान/दिनांक

d- fo	ky; C; ksjk
1	विद्यालय का नाम
2	शैक्षणिक सत्र
3	जिला
4	डाक-पता
5	गांव/नगर
6	तहसील
7	पिन-कोड
8	एस. टी. डी. कोड. सहित दूरभाष.
9	फैक्स न0
10	ई मेल पता (यदि है )
11	नजदीकी पुलिस स्टेशन

[k- I kekl; I ipuk				
1.	स्थापना वर्ष			
2	प्रथमवार विद्यालय खोलने की तिथि			
3	ट्रस्ट/ सोसाइटी /प्रबन्ध समिति का नाम			
4	क्या ट्रस्ट सोसाइटी/प्रबन्धन समिति/पंजीकृत हैं।			
5	ट्रस्ट सोसाइटी/प्रबन्धन <u>समिति/पंजीकरण</u> अवधि जो वैध हैं।			
6	क्या ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्ध समितिके स्वामित्वाहीन व्यक्तित्व के सबूत हैं? क्या शपथ पत्र की प्रति में सदस्यों की पते सहित सूची है ,जो उपरोक्त का समर्थन करती हैं।			
7	प्रबन्धक/अध्यक्ष/विद्यालय के अध्यक्ष का नाम और कार्यालय पता			
	नाम			
	पता			
	दूरभाष	कार्यालय:	निवास:	
8	3 वर्षों के दौरान की पूरी आय और खर्चा /घाटा			
	वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/ घाटा

x- fo   ky; dh i dfr vks {ks=	
1.	शिक्षण का माध्यम

2.	विद्यालय प्रकार ( प्रवेश कक्षा व exit कक्षा स्पष्ट करें )	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो एजेन्सी का नाम और सहायता राशि की प्रतिशतता	
4.	यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त है	
5.	यदि ऐसा है तो किस प्राधिकारी द्वारा • मान्यता संख्या	
6.	क्या विद्यालय का अपना भवन है या किराए के भवन में चल रहा है	
7.	क्या विद्यालय भवन या अन्य ढांचे या मैदान का उपयोग दिन या रात में वाणिज्य या आवासीय प्रयोजन (विद्यालय के किसी कर्मचारी के प्रयोजन के अतिरिक्त ) या किसी राजनैतिक या शैक्षणिक गतिविधि या किसी अन्य कार्य के लिए होता है?	
8.	विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय के निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल	

कक्षा के विवरण

	कक्षा	श्रेणी संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	शालापूर्व		
2.	I-V		
3.	VI-VIII		

कक्षा के विवरण

	कक्षा	संख्या	औसत आकार
	1. कक्षा कक्षा 2. कार्यालय कक्षा-सह भण्डार कक्षा-सह मुख्याध्यापक कक्षा 3. रसोई व भण्डार कक्षा		

कक्षा के विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क्या सभी सुविधाएं बाधा रहित पहुँच	अध्यापन शिक्षण सामग्री (कृ० सूची संलग्न करें )	खेलें और खेल उपकरण (कृ० सूची संलग्न करें )	पुस्तकालय में किताबों की सुविधा • किताबें (किताबों की	पेयजल सुविधा की संख्या और प्रकार	शौचालय की स्थिति • डब्ल्यू. सी. और मूत्रालय की प्रकार • लड़कों के लिए अलग मूत्रालय/

वाली हैं			संख्या ) • पत्रिका / समाचारपत्र		शौचालय की संख्या • लड़कियों के लिए अलग मूत्रालय / शौचालय की संख्या
----------	--	--	---------------------------------------	--	---

N- v/; ki d oxl I Ecl/kh fooj .k

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अनन्य रूप से अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक का अलग विवरण)

अध्यापक का नाम	पिता / पति-पत्नी नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	सौंपी गई कक्षा	नियुक्ति की तिथि	प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2- i kj fEHkd vkj mPp nkuka ea v/; ki u ¼i R; d v/; ki d dk vvx&2 C; kj k½

अध्यापक का नाम	पिता / पति -पत्नी	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	सौंपी गई कक्षा	नियुक्ति की तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

3- eq; k/; ki d

अध्यापक का नाम	पिता / पति -पत्नी	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	सौंपी गई कक्षा	नियुक्ति की तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

t- i kB; Pk; kl vkj i kB; dæ

पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम जो हर कक्षा (आठवीं कक्षा तक लागू किया गया)	विद्यार्थी के प्राप्ति स्तर को आंकने की व्यवस्था	क्या आठवीं तक के स्कूल के विद्यार्थियों को किसी बोर्ड की परीक्षा की आवश्यकता है?
(1)	(2)	(3)

>- प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने जिला शिक्षा सूचना प्रणाली आंकड़ा एकत्रीकरण प्रपत्र पर भी यह सूचना उपलब्ध करवा दी है।

¥- प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मौके पर निरीक्षण के लिए खुला है।

V- प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ऐसे अभिलेख और सूचनाएं देने के लिए वचनबद्ध है जो समयानुसार शिक्षा उपनिदेशक या प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित है। और ऐसी हिदायतों का अनुपालन करता है जो उपयुक्त प्राधिकारी या शिक्षा उप निदेशक द्वारा जारी की गई हैं, जो मान्यता की सुरक्षा की शर्तों को निरन्तर पूरा करने के लिए हैं या विद्यालय की कार्य प्रणाली के अभावों को दूर करने के लिए है।

B- प्रमाणित किया जाता है कि अधिनियम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए विद्यालय का अभिलेख जो शिक्षा उप-निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी या प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय मौके पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, और विद्यालय ऐसी सूचनाएं जो कि केन्द्र /राज्य सरकार/स्थानीय निकाय या प्रशासन के पालन /निर्वहन के लिए या उसके दायित्व के लिए संसद/विधानसभा /पंचायत/नगर निगम जैसा भी मामला है, आवश्यक हो , उपलब्ध करवायेगा।

हस्ताक्षरित/—

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

प्रबन्धन समिति

.....विद्यालय

स्थान: दिनांक

ग्राम: दूरभाष:

ई-मेल: फैक्स:

(नियम 9 और उपनियम 5 में देखें)

कार्यालय उप निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक) / खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

(जिले /राज्य का नाम)

संख्या दिनांक

प्रबन्धक

.....विद्यालय

विषय:- नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 की धारा 18 उपधारा (2) के प्रयोजन ,के लिए हि0 प्र0 नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार नियमों के नियम 9 के उप नियम (5) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र के लिए।

श्रीमान जी / श्रीमती जी,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक.....तथा विद्यालय के साथ हुए अनुवर्ती पत्राचार के संदर्भ में मैं .....  
.....(विद्यालय का नाम ) में.....कक्षा से .....तक कक्षाएँ चलाने के लिए.....  
..... दिनांक .....तक तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अस्थायी मान्यता प्रदान करता हूँ  
:-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के पूरा होने पर ही स्वीकार्य है :-

1. अनुदत्त मान्यता विस्तारित नहीं होगी और न ही मान्यता कृतज्ञता पूर्वक समाविष्ट होगी और न ही आठवीं कक्षा के उपर की कक्षाएँ सम्बद्ध होंगी।
2. नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट I) और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (परिशिष्ट II) के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय नियमों का पालन करेगा।
3. कोई सोसाइटी या विद्यालय किसी भी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रतिव्यक्ति फीस **संग्रहीत** नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी **अनुवीक्षण** प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा।
4. विद्यालय किसी बालक को प्रवेश के लिए इन्कार नहीं करेगा:-
  - i. आयु प्रमाणपत्र के होने के अभाव में ;
  - ii. प्रवेश के लिए किसी बालक को प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश नब्बे दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात इप्सित है ; और
  - iii. बालक के धर्म ,जाति /वर्ग ,जन्म स्थान या अन्य आधार पर ;

5- fo|ky; l fuf' pr djxk fd %&

- (i) विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी बालक को जब तक की वह प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता उसे बोर्ड की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है।

- (iv) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हि. प्र. नियम 2011 के अधीन प्रत्येक वह बालक जो प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेता है उसे प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- (v) निःशुल्क / विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- (vi) अध्यापकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23(1) में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर की जाएगी। वर्तमान कार्यरत अध्यापक, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय तक जो अध्यापक न्यूनतम अर्हताओं को पूरा नहीं पूरा नहीं करते हैं उन्हें मार्च 2015 से पहले इसे पूरा करना होगा।
- (vii) इस अधिनियम की धारा 24(1) में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार अध्यापक अपने कर्तव्य का पालन करेगा।
- (viii) कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण गतिविधि में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी।

- 6- धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षिक प्रधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 7- अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय में विद्यार्थियों का आंशिक नामांकन करेगा।
- 8- अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट मानक और मापदंड के अनुसार विद्यालय अनुरक्षण/रखरखाव करेगा। अन्तिम परीक्षण (Inspection) के समय पर जो सुविधाएँ अभिलेख की गयीं वह निम्नलिखित हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल तैयार (Builtup) क्षेत्रफल

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

कक्षा से कमरों की संख्या

मुख्याध्यापक/एक कार्यलय/स्टोर के लिए कमरा

लड़के और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय

पीने के पानी की सुविधा

मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए रसोई घर

बाधारहित पहुँच

अध्ययन शिक्षण सामग्री की उपलब्धता/खेल सामग्री, खेल ,क्रीड़ा उपस्कर/पुस्तकालय

- 9- विद्यालय परिसर के अंदर या बाहर विद्यालय के नाम पर बिना मान्यता के कक्षाएँ नहीं चलेगी।
- 10- विद्यालय भवन या अन्य ढाँचे या खेल के मैदान का उपयोग दिन या रात में वाणिज्यिक या आवास के प्रयोजन से (विद्यालय के किसी कर्मचारी के रहने के उद्देश्य के अलावा) राजनैतिक या अन्य कोई भी गैर – शैक्षणिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा।
- 11- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 ( 21 का 1860 ) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी विद्यालय चलाएगी या कानून के तहत गठित या एक सार्वजनिक ट्रस्ट किसी कानून के अधीन गठित थोड़े समय के लिए सशक्त रहेगा।
- 12- विद्यालय किसी व्यक्तिगत सामूहिक, व्यक्तिगत संघ और अन्य किसी व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
- 13- विद्यालय के खातों की लेखा परीक्षा और अधिकार प्राप्त लेखापाल द्वारा प्रमाणित और नियमों के अनुसार खातों का सही विवरण तैयार करना होगा। प्रत्येक खाते के विवरण की एक प्रति हर वर्ष उप-निदेशक/प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी।



14- मान्यता कोड संख्या जो विद्यालय को आबंटित हुई है कृपया इस कार्यालय से किसी भी पत्राचार के लिए यह नोट या उद्धृत कर ली जाए। राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार समय-समय पर संबन्धित विद्यालयमान्यता की शर्तों को पूरा किया जाने संबन्धी स्व-घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र पर दायर करेगा व विद्यालय के भी औचक एवं निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।

15- विद्यालय, ऐसे अभिलेख और सूचनाएँ तैयार करेगा जो शिक्षा अधिकारी द्वारा समयानुसार अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी हिदायतों का अनुपालन करेगा जो मान्यता सुरक्षा की शर्तों को निरन्तर पूरा करने के लिए है या विद्यालय की कार्य प्रणाली कार्य प्रणाली के अभावों को दूर करने के लिए है।

16- यदि सोसाइटी के पंजीकरण का कोई नवीकरण है तो सुनिश्चित करवाएं।

17. अनुपालन के लिए राज्य सरकार समयानुसार अतिरिक्त शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकती है।

भवदीय,

उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक

प्रारम्भिक खण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला / खण्ड

आदेशानुसार

प्रधान सचिव शिक्षा

हिमाचल प्रदेश सरकार